

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा अनुभाग-1

संख्या-3342/XXVIII(1)/2015-29(सामान्य)/2015

देहरादून: दिनांक: 16 जनवरी, 2015

अधिसूचना

हेमवती जन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 की धारा 36 की उपधारा -5 में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत महाविद्यालयों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों/संस्थानों हेतु सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल/नर्सिंग/पैरामेडिकल संस्थानों हेतु सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है-

क्र० सं०	शुल्क की मद	मेडिकल		डेंटल		नर्सिंग		पैरामेडिकल	
		निजी कॉलेज	शासकीय कॉलेज	निजी कॉलेज	शासकीय कॉलेज	निजी कॉलेज	शासकीय कॉलेज	निजी कॉलेज	शासकीय कॉलेज
1	Fee for Obtaining No objection Certificate	5,000/-	5,000/-	5,000/-	5,000/-	5,000/-	5,000/-	5,000/-	5,000/-
2	Application Fee (Pre-affiliation)	5,000/-	25,000/-	5,000/-	25,000/-	5,000/-	25,000/-	5,000/-	25,000/-
3	Processing Fee	25,000/-	75,000/-	25,000/-	75,000/-	25,000/-	75,000/-	25,000/-	75,000/-
4	Inspection Fee	2,50,000/-	50,000/-	2,00,000/-	30,000/-	1,00,000/-	10,000/-	75,000/-	10,000/-
5	First Time Affiliation Fee (When the Institution/College has been granted affiliation by the University)	10,00,000/-	1,00,000/-	8,00,000/-	60,000/-	6,00,000/-	40,000/-	5,00,000/-	30,000/-
6	Annual Affiliation Fee	1,20,000/-	50,000/-	1,25,000/-	30,000/-	1,00,000/-	30,000/-	70,000/-	25,000/-
7	Inspection Fee for Post Graduate Programme (M.D, M.D.S., M.Sc Nursing, M.Sc Paramedical)	50,000/- (प्रत्येक विषय)	5,000/- (प्रत्येक विषय)	50,000/- (प्रत्येक विषय)	3,000/- (प्रत्येक विषय)	1,50,000/- (प्रत्येक विषय)	10,000/- (प्रत्येक विषय)	1,00,000/- (प्रत्येक विषय)	10,000/- (प्रत्येक विषय)
8	Renewal of Permanent Affiliation Fee per Course per Year (After five year of thereafter)	5,00,000/-	60,000/-	3,00,000/-	50,000/-	3,00,000/-	50,000/-	1,50,000/-	30,000/-
9	Reinspection Fee	1,50,000/-	40,000/-	1,00,000/-	25,000/-	50,000/-	10,000/-	50,000/-	10,000/-
10	Administrative and Service Charge (one time)	50,000/- (1-40)	30,000/-	50,000/- (1-40)	30,000/-	20,000/- (1-40)	10,000/-	20,000/- (1-40)	10,000/-
		1,00,000/- (41-100)	50,000/-	1,00,000/- (41-100)	50,000/-	30,000/- (41-100)	15,000/-	30,000/- (41-100)	15,000/-

	1,50,000 /- (101 to above)	60,000 /-	1,50,000 /- (101 to above)	60,000 /-	50,000 /- (101 to above)	25,000 /-	50,000 /- (101 to above)	25,000 /-
	<b>Private Colleges</b>				<b>Government Colleges</b>			
11	Late Fee for filling Affiliation Application				15,000 /-			
12	Fee for approving change of name of the Institution/Management/Location				25,000 /-			

2- उक्त सम्बद्धता शुल्क हेमवती नन्दन बहुगुणा, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आर० के० सुधांशु)  
सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मा० चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 5- निजी सचिव, मा० चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
- 6- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 7- कुलपति, हे०न०ब० चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 8- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डाण्डा लखौण्ड सहस्रधारा, देहरादून।
- 11- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।
- 12- समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।
- 13- अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त परिषद/भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली।
- 14- रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद/उत्तराखण्ड दन्त परिषद/उत्तराखण्ड नर्सिंग परिषद/ उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद, देहरादून।
- 15- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर/हल्द्वानी।
- 16- प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग कॉलेज/स्कूल, चन्दर नगर, देहरादून।
- 17- अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुडकी, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को शासकीय गजट (असाधारण) के आगामी विधायी प्ररिशिष्ट में प्रकाशित करने हेतु।
- 18- राज्य के निजी क्षेत्र में एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/एम०डी०/एम०एस० /एम०डी०एस०/परा चिकित्सा एवं नर्सिंग से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कॉलेजों/संस्थाओं के अध्यक्ष/प्राचार्य गणों को द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।
- 19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(मायावती ढकरियाल)  
संयुक्त सचिव।